कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/जविप्रा/2018/3631

जबलपुर, दिनांक 27/09/2018

ऑनलाइन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की निम्नानुसार शैक्षणिक सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल www.mponline.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	भूखण्डों/इकाईयों का विवरण योजना क्रमांक 41 पं0ओंकार प्रसाद तिवारी नगर	भूखंडों/इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो तो	भूखंड/इकाई का आरक्षित मूल्य/कीमत (प्र.व.मी.)	पट्टे (लीज) पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाड़ा	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 5%)
1	शैक्षणिक भूखण्ड A	शैक्षणिक	4528 वर्गमीटर	अनारक्षित	17,600.00	लीज	0.1%	39,84,640
2	शैक्षणिक भूखण्ड B	शैक्षणिक	2906.40 वर्गमीटर	अनारक्षित	17,600.00	लीज	0.1%	25,57,632
3	शैक्षणिक भूखण्ड C	शैक्षणिक	3384 वर्गमीटर	अनारक्षित	17,600.00	लीज	0.1%	29,77,920

प्रक्रियाः–

1. योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.jdajabalpur.org एवं www.mponline.gov.in पर उपलब्ध।

2. ऑनलाईन आवेदन फार्म रु. 1000.00 ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर दिनांक 28/09/2018 से 12/10/2018 सांय 5.00 बजे तक क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं। बिड दिनांक 15/10/2018 सांय 5.00 बजे तक सबमिट की जा सकती है।

3. बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 9 में अंकित बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑफर दिनांक 16/10/2018 को ऑनलाईन ही उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष अप. 3:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में खोले जायेंगे।

1. <u>अन्य नियम एवं शर्तेः</u>– (1) आवेदनकर्ता संस्था का नियमानुसार पंजीयन होना चाहिये तथा संस्था को अपनी नियमावली, प्रमाण पत्र एवं आयकर छूट प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। (2) सम्पत्ति क्रय के पूर्व स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। (3) किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर मान्य नहीं होगा। (4) क्रेता/संस्था को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हो। (5) संस्था/क्रेता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और/या बाजू की सम्पत्तिधारियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करता हो। (6) ऑफर स्वीकृत किये जाने/निरस्त किये जाने/विज्ञापित सम्पत्ति को स्थगित किये जाने/विवाद के निराकरण में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (7) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय–समय पर जारी शासनादेश तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तें आवेदक को मान्य होंगी। (8) ऑनलाईन निर्दिष्ट सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। (9) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र रहेगा एवं स्वीकृति हेतु प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। (10) जी.एस.टी. अथवा शासन द्वारा समय–समय पर अधिरोपित समस्त करों का भुगतान ऑफरकर्ता को पृथक से करना अनिवार्य होगा। **(11) संस्था भूखण्ड का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिये ही करेंगी, अन्य किसी उपयोग के लिये नहीं। शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य उपयोग होने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।** (12) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा मूल प्रति का कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (13) अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के "प्रापर्टी सेल" अथवा टोल–फ्री नंबर 1800–233–1592 में सम्पर्क करें।

(मु.का.अधि.महो. द्वारा अनुमोदित) पत्रिका 28/9/18

सम्पदाधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

Scanned by CamScanner